अत्यन्त महत्वपूर्ण / व्हाट्सअप / ई–मेल द्वारा

षक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
कानपुर देहात।

सेवा में,

1. समस्त कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष
2. समस्त जनपद एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारी
   कानपुर देहात।

पत्रॉक– का0दे0 / मु0चि0अ0 / एन0टी0सी0पी0 / 2022–23 / 6118 दिनॉक– 6 अक्टूबर 2022

विषय– तम्बाकू उद्योग द्वारा सी0एस0आर0 के अन्तर्गत चलाये जा रहे पोषण माह परियोजना अभियान में तम्बाकू उद्योग के लोगो / डिस्प्ले अथवा संपोषण अभियान के लोगो / डिस्प्ले को प्रचारित न करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0– 9फ / एन0टी0सी0पी0 / सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 / 2022–23 / 1885, दिनॉक– 19.10.2022 के अनुपालन में अवगत कराया गया है कि इण्डिया तम्बाकू कम्पनी लिमिटेड (तम्बाकू उद्योग) द्वारा सी0एस0आर0 के अन्तर्गत उ0प्र0 में अपने कर्मचारियों, उपभोक्ताओं एवं जनमानस के बीच माह सितम्बर 2022 से पोषण माह से सम्बन्धित कार्यक्रम मना रहे है।

उपरोक्त के साथ जैसा कि आप अवगत है कि जनपद में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद विज्ञापन और व्यापार वाणिज्य, उत्पादन प्रदान और वितरण अधिनियम–2003 (कोटपा अधिनियम–2003) का प्रभावी संचालन किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत उक्त अधिनियम की धारा–5 के अनुसार तम्बाकू कम्पनियों द्वारा चलायें जा रहें उक्त अभियानों में अपने ब्राण्ड व लोगो की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रचार–प्रसार करना पूर्ण रुप प्रतिबंधित / प्रेतिषेध है।

उपरोक्त के अतिरिक्त अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0– जी0आई0–22 / पॉच–7–2022, दिनॉक– 12.05.2022 (छायाप्रति संलग्न) के क्रम समस्त विभागों को Foundation for Smoke-Free world (FSFW) अथवा तम्बाकू उद्योग नीति किसी अन्य फाउन्डेशन या संगठन का किसी कार्यक्रम में सहयोग नही लेने तथा उनके साथ सहभागिता से बचने हेतु निर्देश दिये गये है। साथ ही प्रदेश में विश्व स्वास्थ्य संगठन के एफ0सी0टी0सी0 अनुच्छेद–5.3 के आलोक में उ0प्र0 में स्वास्थ्य नीतियों व तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम में तम्बाकू उद्योग के हस्तक्षेप को रोकने हेतु दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है।

अतः उपरोक्त के क्रम में आप सभी से अनुरोध है कि आप तम्बाकू उद्योग द्वारा सी0एस0आर0 के अधीन चलाये जा रहे उक्त परियोजना सम्बन्धी लोगो / डिस्प्ले के प्रचार प्रसार का सहयोग / सहभागिता न करते हुये कोटपा–2003 अधिनियम का प्रभावी अनुपालन कराने का कष्ट करें, जिससे जनपद में किसी भी इण्डिया तम्बाकू कम्पनी लिमिटेड (तम्बाकू उद्योग) द्वारा संपोषण अभियान सम्बन्धी लोगो / डिस्प्ले के प्रचार–प्रसार पर रोक लगायी जा सकें।

संलग्नक– यथोक्त।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
कानपुर देहात।

पत्रांक व दिनांक यथोपरि। / 6118-7

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
3. मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उ0प्र0 लखनऊ।
4. अधिशासी निदेशक, उ0प्र0वी0एच0ए0, लखनऊ।
5. अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कानपुर मण्डल, कानपुर।
6. जिलाधिकारी, कानपुर देहात।
7. जिला एन0सी0डी0 सेल, कानपुर देहात।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
कानपुर देहात।

Scanned with CamScanner

इ–मेल / महत्वपूर्ण

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त जिला नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक :–9फ / NTCP / सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 / 2022–23 / 1885 लखनऊ / दिनांक– 19-10-2022

विषयः– तम्बाकू उद्योग द्वारा सी.एस.आर. के अन्तर्गत चलाये जा रहे पोषण माह परियोजना अभियान में तम्बाकू उद्योग के लोगो / डिस्प्ले अथवा संपोषण अभियान के लोगो / डिस्प्ले को प्रचारित न करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया उत्तर प्रदेश वॉलण्टरी हेल्थ एसोसिएशन, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 11.10.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें(संलग्नक–क), जिसके माध्यम से महानिदेशालय को अवगत कराया गया है कि कि इण्डिया तम्बाकू कम्पनी लिमिटेड(तम्बाकू उद्योग) द्वारा सी.एस.आर. के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में अपने कर्मचारियों, उपभोक्ताओं एवं जनमानस के बीच माह सितम्बर 2022 में पोषण माह से सम्बन्धित राष्ट्रीय पोषण माह मना रही है तथा इण्डिया तम्बाकू कम्पनी लिमिटेड(तम्बाकू उद्योग) द्वारा हाल ही में उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों में अपने सी.एस.आर. कार्यक्रम के अर्न्तगत किशोरियों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं में एनीमिया की चुनौती को कम करने हेतु परियोजना संपोषण आरम्भ किया गया है।

जैसा कि आप अवगत है कि प्रदेश में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद विज्ञापन और व्यापार वाणिज्य, उत्पादन प्रदान और वितरण अधिनियम–2003 (सी0ओ0टी0पी0ए0–2003) का प्रभावी संचालन किया जा रहा है, जिसके अर्न्तगत उक्त अधिनियम की धारा–5 के अनुसार तम्बाकू कम्पनियों द्वारा चलाये जा रहे उक्त अभियानों में अपने ब्राण्ड व लोगो की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रचार–प्रसार करना पूर्ण रूप से प्रतिषेध है।

उक्त के अतिरिक्त कृपया अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–जी0आई0–22 / पांच–7–2022, दिनांक 12 मई, 2022 (संलग्नक–ख) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा समस्त विभागों को Foundation for Smoke-Free world(FSFW) अथवा तम्बाकू उद्योग नीति किसी अन्य फाउन्डेशन या संगठन का किसी कार्यक्रम में सहयोग नहीं लेने तथा उनके साथ सहभागिता से बचने हेतु निर्देश प्रदान किये गये है साथ ही प्रदेश में विश्व स्वास्थ्य संगठन के एफ0सी0टी0सी0 अनुच्छेद–5.3 के आलोक में उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य नीतियों व तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम में तम्बाकू उद्योग के हस्तक्षेप को रोकने हेतु दिशा–निर्देश (संलग्नक–ग) समस्त जनपदों को प्रेषित किये जा चुके है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप तम्बाकू उद्योग द्वारा सी.एस.आर. के अधीन चलाये जा रहे उक्त परियोजना सम्बन्धी लोगो / डिस्प्ले के प्रचार–प्रसार को रोकने हेतु जिला स्तर पर समस्त विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 अधिनियम का प्रभावी अनुपालन करवाना सुनिश्चित करें, जिससे कि उत्तर प्रदेश के जनपदों में किसी भी इण्डिया तम्बाकू कम्पनी लिमिटेड(तम्बाकू उद्योग) द्वारा संपोषण–अभियान सम्बन्धी लोगो / डिस्प्ले के प्रचार–प्रसार पर रोक लगायी जा सके।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(ए0के0 सिंह)
निदेशक (स्वास्थ्य)
लखनऊ / तद्दिनांक

पत्रांक :–9फ / NTCP / सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 / 2022–23 /

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1–प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2–मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
3–समस्त जिला अधिकारी / अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आप उक्त अधिनियम का अपने स्तर से प्रभावी संचालन / समीक्षा करने का कष्ट करें।
4–उपमहाप्रबन्धक, एन.सी.डी. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
5–अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 वॉलण्टरी हेल्थ एसोसिएशन, लखनऊ।

(सुनील पाण्डेय)
संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य /
राज्य नोडल अधिकारी,एन0टी0सी0पी0

इ–मेल / महत्वपूर्ण

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त जिला नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक :–9फ / NTCP / सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 / 2022–23 / लखनऊ / दिनांक– 19-10-2022

विषयः– तम्बाकू उद्योग द्वारा सी.एस.आर. के अन्तर्गत चलाये जा रहे पोषण माह परियोजना अभियान में तम्बाकू उद्योग के लोगो / डिस्प्ले अथवा संपोषण अभियान के लोगो / डिस्प्ले को प्रचारित न करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया उत्तर प्रदेश वॉलण्टरी हेल्थ एसोसिएशन, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 11.10.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें(संलग्नक–क), जिसके माध्यम से महानिदेशालय को अवगत कराया गया है कि कि इण्डिया तम्बाकू कम्पनी लिमिटेड(तम्बाकू उद्योग) द्वारा सी.एस.आर. के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में अपने कर्मचारियों, उपभोक्ताओं एवं जनमानस के बीच माह सितम्बर 2022 में पोषण माह से सम्बन्धित राष्ट्रीय पोषण माह मना रही है तथा इण्डिया तम्बाकू कम्पनी लिमिटेड(तम्बाकू उद्योग) द्वारा हाल ही में उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों में अपने सी.एस.आर. कार्यक्रम के अर्न्तगत किशोरियों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं में एनीमिया की चुनौती को कम करने हेतु परियोजना संपोषण आरम्भ किया गया है।

जैसा कि आप अवगत है कि प्रदेश में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद विज्ञापन और व्यापार वाणिज्य, उत्पादन प्रदान और वितरण अधिनियम–2003 (सी0ओ0टी0पी0ए0–2003) का प्रभावी संचालन किया जा रहा है, जिसके अर्न्तगत उक्त अधिनियम की धारा–5 के अनुसार तम्बाकू कम्पनियों द्वारा चलाये जा रहे उक्त अभियानों में अपने ब्राण्ड व लोगो की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रचार–प्रसार करना पूर्ण रूप से प्रतिषेध है।

उक्त के अतिरिक्त कृपया अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–जी0आई0–22 / पांच–7–2022, दिनांक 12 मई, 2022 (संलग्नक–ख) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा समस्त विभागों को Foundation for Smoke-Free world(FSFW) अथवा तम्बाकू उद्योग नीति किसी अन्य फाउन्डेशन या संगठन का किसी कार्यक्रम में सहयोग नहीं लेने तथा उनके साथ सहभागिता से बचने हेतु निर्देश प्रदान किये गये है साथ ही प्रदेश में विश्व स्वास्थ्य संगठन के एफ0सी0टी0सी0 अनुच्छेद–5.3 के आलोक में उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य नीतियों व तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम में तम्बाकू उद्योग के हस्तक्षेप को रोकने हेतु दिशा–निर्देश (संलग्नक–ग) समस्त जनपदों को प्रेषित किये जा चुके है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप तम्बाकू उद्योग द्वारा सी.एस.आर. के अधीन चलाये जा रहे उक्त परियोजना सम्बन्धी लोगो / डिस्प्ले के प्रचार–प्रसार को रोकने हेतु जिला स्तर पर समस्त विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 अधिनियम का प्रभावी अनुपालन करवाना सुनिश्चित करें, जिससे कि उत्तर प्रदेश के जनपदों में किसी भी इण्डिया तम्बाकू कम्पनी लिमिटेड(तम्बाकू उद्योग) द्वारा संपोषण–अभियान सम्बन्धी लोगो / डिस्प्ले के प्रचार–प्रसार पर रोक लगायी जा सके।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(ए0के0 सिंह)
निदेशक (स्वास्थ्य)
लखनऊ / तद्दिनांक

पत्रांक :–9फ / NTCP / सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 / 2022–23 / 1886-90

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1–प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2–मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
3–समस्त जिला अधिकारी / अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आप उक्त अधिनियम का अपने स्तर से प्रभावी संचालन / समीक्षा करने का कष्ट करें।
4–उपमहाप्रबन्धक, एन.सी.डी. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
5–अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 वॉलण्टरी हेल्थ एसोसिएशन, लखनऊ।

(सुनील पाण्डेय)
संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य /
राज्य नोडल अधिकारी,एन0टी0सी0पी0

Phone : 0522-2725586
E-mail : upvhalko@gmail.com
upvha_lko@yahoo.com
Website : www.upvha.org

Uttar Pradesh Voluntary Health Association

5/459 Viram Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

Ref. No.To,.....

Date 11.10.2022

The State Nodal Officer
National Tobacco Control Programme, Uttar Pradesh
STCC, Office of Directorate Medical Health,
Lucknow

Subject:- Regarding possible violation by Indian Tobacco Industry through - ITC activities in Uttar Pradesh on health & nutrition - Poshan Maah (National Nutrition Month)

Dear Sir,

Greetings from UPVHA!

This is with the reference to the information received from different sources ITC Limited has committed to contribute significantly to the Prime Minister's 'Poshan Abhiyaan' by adopting a 'Help India Eat Better' framework that focuses on a 'Nutrition-First' approach. As part of its continued and dedicated efforts in this area, the Company is commemorating the 'Poshan Maah' (National Nutrition Month) throughout September with a slew of multidimensional initiatives to promote the importance of nutrition and wellness among its employees, consumers, civil societies and other stakeholders.

Supporting the nation's aspirations of 'Anaemia Mukt Bharat', ITC has recently launched Project 'Samposhan' under its social investment programme in the aspirational districts of Uttar Pradesh to help address the challenge of high incidence of anaemia in adolescent girls, pregnant and lactating women. (Article and news published regarding the same is attached with this letter for your kind perusal)

https://newspatrolling.com/with-help-india-eat-better-framework-itc-takes-nutrition-first-approach/

https://newsroomodisha.com/with-help-india-eat-better-framework-itc-takes-nutrition-first-approach/

https://latestnews.fresherslive.com/articles/with-help-india-eat-better-framework-itc-takes-nutrition-first-approach-1065123

https://www.itcportal.com/about-itc/ChairmanSpeakContent.aspx?id=2511&type=B&news=111th-annual-general-meeting-itc-limited

As India is one of signatory of WHO-FCTC and also UP Government is committed to stop tobacco industry interference in health with a state policy in line with WHO FCTC Article 5.3.

May I please request you to issue a circular/notification to districts- to not publicise any ITC (or related campaign 'Samposhan') logos/displays within the districts of Uttar Pradesh.

With thanks and regards!

(Vivek)
Executive Director

संख्या–6-I-22/पांच–7–2022

प्रेशक,

अमित मोहन प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
3–समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4–समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

चिकित्सा अनुभाग–7 **लखनऊ : दिनांक 12 मई, 2022**

विषयः–Foundation for Smoke-Free World (FSFW) अथवा अन्य किसी तम्बाकू उद्योग नीत फाउन्डेशन के साथ सहभागिता/सहयोग से बचने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर अपर सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–पी 16012/08/2019–टी0सी0, दिनांक 24 जून, 2019 तथा अर्द्धशासकीय पत्र संख्या– पी 16012/08/2019–टी0सी0, दिनांक 24 अप्रैल, 2022 (छायाप्रतियॉ संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2– भारत सरकार द्वारा उपरोक्त पत्रों के माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि Foundation for Smoke-Free World (FSFW) विश्व की सबसे बड़ी तम्बाकू कम्पनी Philip Morris International (PMI) द्वारा पूर्ण वित्त पोषित इकाई है। PMI कम्पनी ENDS (Electronic Nicotine Delivery Systems) उपकरणों यथा ई सिगरेट आदि का उत्पादन करती है तथा इन उपकरणों को धूम्रपान के Harm Reduction Alternative के रूप में प्रमोट करती है। PMI द्वारा FSFW को वर्ष 2018 से प्रति वर्ष आठ करोड़ यू0एस0 डालर प्रति वर्ष की सहायता 12 वर्षो के लिये दी जा रही है।

3– इस सम्बन्ध में यह उल्लेख करना है कि WHO Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC) जिसमें भारत भी एक पार्टी/सदस्य है, के अनुच्छेद 5.3 के अनुसार कन्वेशन के सभी सदस्य देश अपनी जन स्वास्थ्य नीतियों को अपने राष्ट्रीय कानूनो के अनुसार तम्बाकू उद्योग के व्यापारिक एवं अन्य निहित स्वार्थों से सुरक्षित रखने के लिय बाध्य है। अनुच्छेद 5.3 के कियान्वयन के संबंध में निर्गत दिशा निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सरकारों को तम्बाकू उद्योग के साथ संव्यवहार को सीमित रखना चाहिए तथा उसके साथ भागीदारी से बचना चाहिए।

4– कन्वेशन सचिवालय द्वारा FSFW के लान्च अवसर पर यह बयान जारी किया गया है कि यह फाउन्डेशन तम्बाकू उद्योग द्वारा वित्त पोषित है अतः इस फाउन्डेशन का जन स्वास्थ्य के सम्बन्ध में कोई हस्तक्षेप WHO FCTC संधि का खुला उल्लघंन है। कन्वेशन सचिवालय द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि यह बहुत खतरनाक डेवलपमेन्ट है जिसका उदेश्य संधि के कियान्वयन को नुकसान पहुचाना है।

5– भारत सरकार द्वारा यह संज्ञान में लाया गया है कि यू0के0 स्थित Centre For Health Research And Education (CHRE) संगठन जो FSFW, का अग्रणी मोर्चा है, देश के विभिन्न भागों में कैंसर जागरूकता कैम्प लगवाने की योजना करने की योजना बना रहा है। यह कैम्प प्रायः राज्य सरकारों एवं प्रशासनों की सहभागिता से आयोजित होते है।

6– भारत सरकार तम्बाकू नियंत्रण के लिये प्रतिबद्ध है और तम्बाकू की मांग और आपूर्ति में कमी करने हेतु लगातार प्रयास कर रही है। इस प्रकार के कैम्पों में तम्बाकू उद्योग की सहभागिता तम्बाकू नियंत्रण हेतु किये जा रहे प्रयासो को नुकसान पहुचायेगी।

7– अतः उपरोक्त पृष्ठ भूमि में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वृहद जन स्वास्थ्य के हित में प्रदेश के सभी विभागों/संस्थानों को FSFW अथवा तम्बाकू उद्योग नीत किसी अन्य फाउन्डेशन या संगठन का किसी कार्यक्रम में सहयोग नहीं लेना चाहिए तथा उनके साथ सहभागिता करने से बचना चाहिए।

कृपया तदनुसार सभी सम्बन्धित को निर्देशित करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करे।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय

12.6.22

(अमित मोहन प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–6 I.-21 (1)/पॉच–7–2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः–

1–मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
2–महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए/परिवार कल्याण, उ0प्र0।
3–महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
4–समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, उ0प्र0।
5–समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
6–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

Go_2021 amit

सेवा में,

महानिदेशक
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उ0प्र0।

पत्रांकः–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2019–20/7977 लखनऊ/दिनांक-15-11-2019

विषय : - WHO के FCTC 5.3 के आलोक में तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम में तम्बाकू उद्योग के हस्तक्षेप को रोकने हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि, WHO के फ्रेमवर्क कन्वेन्सन आम टोबैको के अनुच्छेद 5.3 के आलोक व लोक स्वास्थ्य के हित में उ0प्र0 शासन द्वारा सामान्य लोक सेवकों हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जनपद स्तर पर भी तम्बाकू उद्योग के प्रतिनिधि लोक सेवकों से सम्पर्क कर लोक स्वास्थ्य के हित में व तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अन्तर्गत लागू की जा रही योजनाओं को प्रभावित कर सकते हैं।

अतः उ0प्र0 शासन की लोक स्वास्थ्य के हित में तम्बाकू उद्योग के हस्तक्षेप को रोकने हेतु जनपद के समस्त विभागाध्यक्ष के कार्यालयों में सूचना पट पर इस आशय का निम्नानुसार पठनीय साइनेज/घोषणा–पत्र लगवाने का कष्ट करे।

घोषणा

हम डब्लू0एच0ओ0 फ्रेमवर्क कन्वेन्शन (अनुच्छेद 5.3) के आलोक में तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के कियान्वयन में तम्बाकू उद्योग के हस्तक्षेप को रोकने हेतु चिकित्सा अनुभाग –7 के कार्यालय ज्ञाप संख्या –583/पांच–07–2019 दिनांक 16/09/2019 में उल्लिखित अनुलग्नक "क" में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हैं ।

पदनाम .....

जनपद .....

भवदीय

निदेशक (स्वास्थ्य)

पत्रांकः–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2019–20/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. विवेक अवस्थी, अधिशासी निदेशक, यू0पी0वी0एच0ए0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसमें जनपद स्तर पर तकनीकी सहयोग प्रदान करें।

संयुक्त निदेशक (स्वास्थ्य)

सेवा में,

महानिदेशक
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उ0प्र0।

पत्रांकः–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2019–20/ लखनऊ/दिनांक-15-11-2019

विषय : - WHO के FCTC 5.3 के आलोक में तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम में तम्बाकू उद्योग के हस्तक्षेप को रोकने हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि, WHO के फ्रेमवर्क कन्वेन्सन आम टोबैको के अनुच्छेद 5.3 के आलोक व लोक स्वास्थ्य के हित में उ0प्र0 शासन द्वारा सामान्य लोक सेवकों हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जनपद स्तर पर भी तम्बाकू उद्योग के प्रतिनिधि लोक सेवकों से सम्पर्क कर लोक स्वास्थ्य के हित में व तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अन्तर्गत लागू की जा रही योजनाओं को प्रभावित कर सकते हैं।

अतः उ0प्र0 शासन की लोक स्वास्थ्य के हित में तम्बाकू उद्योग के हस्तक्षेप को रोकने हेतु जनपद के समस्त विभागाध्यक्ष के कार्यालयों में सूचना पट पर इस आशय का निम्नानुसार पठनीय साइनेज/घोषणा–पत्र लगवाने का कष्ट करे।

घोषणा

हम डब्लू0एच0ओ0 फ्रेमवर्क कन्वेन्शन (अनुच्छेद 5.3) के आलोक में तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के कियान्वयन में तम्बाकू उद्योग के हस्तक्षेप को रोकने हेतु चिकित्सा अनुभाग –7 के कार्यालय ज्ञाप संख्या –583/पांच–07–2019 दिनांक 16/09/2019 में उल्लिखित अनुलग्नक "क" में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हैं ।

पदनाम .....

जनपद .....

भवदीय

निदेशक (स्वास्थ्य)

पत्रांकः–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2019–20/7978–80 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. विवेक अवस्थी, अधिशासी निदेशक, यू0पी0वी0एच0ए0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसमें जनपद स्तर पर तकनीकी सहयोग प्रदान करें।

संयुक्त निदेशक (स्वास्थ्य)

चिकित्सा अनुभाग–7 के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–583/पांच–7–2019, दिनांक 16.09.2019 में उल्लिखित अनुलग्नक 'क'

डब्लू0एच0ओ0 फ्रेमवर्क कन्वेन्सन (अनुच्छेद 5.3) के आलोक में तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के कियान्वयन में तम्बाकू उद्योग के हस्तक्षेप को राकने हेतु गठित प्राधिकृत समिति के लिए दिशा निर्देश–

तम्बाकू उद्योग के हित एवं लोक स्वास्थ्य नीतियों के बीच मौलिक टकराव रहता है। तम्बाकू उद्योग अथवा उसके प्रतिनिधियों द्वारा तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के लोक हित नीतियों को प्रभावित करने की चेष्टा की जा सकती है। तम्बाकू उद्योग को किसी प्रकार की तरजीह, राज्य सरकार के तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम के प्रतिकूल होगी। अतः इस मामले में सुस्पष्ट दिशा–निर्देश का रहना राज्य के लिए अत्यावश्यक है।

सामान्य दिशा निर्देश

1. लोक सेवक तम्बाकू उद्योग का कोई प्रतिनिधि किसी लोक सेवक के साथ बैठक करना चाहता है, तो ऐसी अवस्था में तम्बाकू उद्योग में किसी प्रकार का संपर्क अथवा पत्राचार करने के पूर्व यह मामला लिखित रूप में प्राधिकृत समिति के संज्ञान में लाया जायेगा।
2. तम्बाकू उद्योग के प्रतिनिधि को प्रस्तावित बैठक की कार्यसूची लिखित रूप में स्पष्ट करनी होगी।
3. प्राधिकृत समिति के अध्यक्ष एवं सचिव प्रस्तावित कार्यसूची की समीक्षोपरान्त निर्णय लेंगे कि प्रतिनिधि के साथ प्रस्तावित बैठक की जाय अथवा नहीं और सहमति की अवस्था में प्रस्तावित कार्यसूची को अंतिम रूप देंगे।
4. तम्बाकू उद्योग के द्वारा, प्राधिकृत समिति के सचिव को, प्रस्तावित बैठक से पूर्व उसमें भाग लेने वाले अपने प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों का नाम एवं पदनाम उपलब्ध कराना होगा।
5. बैठक में विधि विभाग के प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा वे बैठक के दौरान समिति के सदस्यों को आवश्यक परामर्श देंगे।
6. बैठक के पूर्व, प्राधिकृत समिति द्वारा तम्बाकू उद्योग को लिखित रूप से यह स्पष्ट कर देना होगा कि बैठक में किसी प्रकार की साझेदारी अथवा पारस्परिक सहयोग अन्तर्निहित नहीं है एवं बैठक की प्रकृति को उनके द्वारा दुष्प्रचारित नहीं किया जायेगा।
7. बैठक सरकारी विभाग के परिसर में ही संचालित होगी। यह सुनिश्चित करना होगा कि इस बैठक के दौरान लिया गया फोटोग्राफ मात्र दस्तावेजी साक्ष्य (documentation) के उद्देश्य ही लिया जाय, तम्बाकू उद्योग के जनसम्पर्क गतिविधि में उपयोग हेतु नहीं।
8. सभी सरकारी पदाधिकारियों, कर्मचारियों को तम्बाकू उद्योग के प्रतिनिधियों से दूरभाष, ई–मेल इत्यादि के माध्यम से पारस्पारिक संपर्क स्थापित करने से बचना चाहिए।

बैठक संचालित करने की प्रकिया

- बैठक संक्षिप्त होनी चाहिए और मात्र प्राधिकृत समिति द्वारा अनुमोदित कार्यसूची के अनुसार ही होगी।
- बैठक को आवश्यकतानुसार किसी भी समय समाप्त करने का अधिकार प्राधिकृत समिति के पास होगा।
- बैठक की एक विस्तृत कार्यवाही तैयार की जानी चाहिए। साक्ष्य हेतु बैठक की वॉयस/वीडिया रेकार्डिंग भी करायी जा सकती है।
- बैठक के दौरान उठाये गये किसी प्रश्न का उत्तर यदि बाद में दिया जाना हो तो उसे आवश्यक विचार–विमर्श/ छानबीन/अध्ययन के उपरान्त पत्राचार के माध्यम से दिया जाय।
- बैठक की सूचना यथोचित ढंग से प्रचारित की जायेगी।

लोक सेवकों के लिए आचार संहिता

1. सभी लोक सेवक, जिनकी तम्बाकू नियंत्रण संबन्धी लोक स्वास्थ्य नीतियों के निर्धारण अथवा कार्यान्वयन में भूमिका है वे :–

   अ. समिति के समक्ष निम्नलिखित घोषणा करेंगे :

   क. तम्बाकू उद्योग के साथ पूर्ववर्ती अथवा वर्तमान क्रियाकलाप के बारे में, चाहे वह लाभकारी हो या नहीं

   ख. सेवा त्यागने के उपरान्त तम्बाकू उद्योग से सम्बन्धित किसी पेशागत कियाकलाप, चाहे वह लाभकारी हो
   या नहीं, से सम्बद्ध होने का कोई इरादा तो नहीं है।

   ब. वे पदग्रहण से 30 (तीस) दिनों के अन्दर, तम्बाकू उद्योग में अपने पद को त्याग देंगे और तम्बाकू उद्योग में अपने निवेश अथवा हित का 60 (साठ) दिनों के अन्दर परित्याग कर देंगे। इस नियम के प्रयोजनार्थ, तम्बाकू उद्योग में हित में मतलब व्यक्तिगत, वित्तीय या अन्य हित शामिल हैं,
   उदाहरणार्थ

   क. तम्बाकू उद्योग में कोई वर्तमान स्वामित्व या सीधा निवेश होना।

   ख. तम्बाकू उद्योग में निदेशक परिषद का कोई सदस्य होना निगम का कोई पदाधिकारी होना या साझेदार होना।

   ग. तम्बाकू उद्योग से कोई अंशदान प्राप्त करना।

   परन्तु उक्त सूची तक सीमित नहीं रहेगा।

   स. वे अपने, परिवारों, संबन्धियों, मित्रों अथवा अपने से संबद्ध किन्हीं अनय व्यक्तियों या संस्थाओं के लिए तम्बाकू उद्योग से कोई अंशदान न तो मांगेंग न ही प्राप्त करेंगे। अंशदानों में भुगतान, उपहार, सेवाएं, नकद या वस्तु रिसर्च हेतु निधि प्राप्त करना, वित्तीय सहायता, पॉलिसी ड्रफ्ट एवं विधिक परामर्श शामिल होंगे परन्तु इस तक सीमित नहीं रहेगा।

2. इस बैठक के फलस्वरूप तम्बाकू उद्योग के साथ लोक सेवकों/ संबन्धित विभागों के मध्य वास्तविक या संभावित साझेदारी अथवा सहयोग की दुर्व्याख्या उत्पन्न नहीं हो। यदि ऐसा होता है तो उसे सार्वजनिक रूप से सुधारा जाय।
3. यदि किसी लोक सेवक को तम्बाकू उद्योग के किसी प्रकार के हस्तक्षेप की अनुभूति होती है अथवा बिना पूर्व सूचना के तम्बाकू उद्योग के प्रतिनिधि द्वारा उससे संपर्क किया गया है तो वह इस संदर्भ में शीघ्रातिशीघ्र लिखित रूप में प्राधिकृत समिति को इसकी सूचना देंगे।

—0—